कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-18/2017-18/

दिनांक : /08/2017

सेवा में,

जिला ग्राम्य वकास अ भकरण,

देहरादून

वषय : जिला ग्राम्य वकास अ भकरण, देहरादून का वर्ष 11/2015 से 04/2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 09 प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा र्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या स चव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 18/2017-18/ दिनांक: /08/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- आयुक्त ग्राम्य वकास पौड़ी, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़ ।

2- मुख्य वकास अ धकारी देहरादून, जनपद- देहरादून, उत्तराखण्ड़ ।

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण आख्या **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण**, **देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, **देहरादून** की अवधि 11/2015 से 04/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय वडथ्वाल, स0ले0प0अ0, श्री केदार सिंह, स0ले0प0अ0, एवं श्री नितिन वर्मा, ले0प0 द्वारा दिनांक 17.05.2017 से 27.05.2017 तक श्री बी0एस0 चन्देल, व0ले0प0अ0 के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार, स0ले0प0अ0 एवं श्री शैलेन्द्र कुमार, ले0प0, द्वारा दिनांक 07.12.2015 से 18.12.2015 तक श्री दानिश इकबाल, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 11/2015 से माह 04/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के कियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र–**

(अ) संप्रेक्षा अवधि में कार्यरत कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं पदनाम–

(i) श्री राजेन्द्र सिंह रावत, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,

(ब) भौगोलिक क्षेत्र–

(स) जनसंख्या–

3. निर्वाचित सदस्यों की संख्या–

4. आयोजित बैठकों की संख्या–

5. उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या–

6. कर्मचारियों की संख्या–21

7. इकाई की सम्पत्तियां–

8. इकाई के अपने प्रोजेक्ट–

9. योजनाओं की संख्या–

10. (अ) सामाजिक संरक्षा–

    (ब) रोजगार सृजन से सम्बंधित–

    (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनाएं–

    (द) लाभार्थियों की संख्या–

11. वर्ष के दौरान कर, रेटस डयूटी चंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि–

12. वर्ष के दौरान कुल व्यय– भाग –I, 2(ii)(अ) के अनुसार

    (अ) सामान्य–

    (स) योजनाओं पर(प्रत्येक योजना पर अलग–अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

13. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया–

2(ii)(अ)– कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून के विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति–

धनराशि (रू लाख) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (–)	आधिक्य (+)	बचत (–)
2014-15	9.70	1789.153	113.83	123.53	67.698	1589.953	-	0.00	-	266.898
2015-16	-	266.898	25.63	25.57	337.088	398.503	-	0.06	-	205.483
2016-17	0.06	205.483	210.66	210.19	929.193	976.437	-	0.47	-	158.299

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है–

क्र.सं.	मद	वित्तीय वर्ष		
		2014–15	2015–16	2016–17
1	प्रारम्भिक शेष	1798.853	266.898	205.543
2	वर्ष के दौरान प्राप्तियां			
	(क)केन्द्रांश	92.4712	285.832	884.3787
	(ख)राज्यांश	88.7768	73.666	251.6743
	(ग)अन्य प्राप्तियां	0.82	3.22	3.80
3	कुल योग(1+2)	1980.921	629.616	1345.396
4	व्यय	1713.483	424.073	1186.627
5	अंतिम शेष(1+2–3)	266.898	205.543	158.769

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है–

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अवषेश	प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	व्यय	अंतिम अवशेष
2014–15	सांसद निधि	171.707	0.00	171.707	94.62	77.087
2014–15	इंदिरा आवास योजना	1499.282	32.05	1531.332	1456.681	74.651
2014–15	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना	113.69	0.00	113.69	24.11	89.58
2014–15	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	11.845	7.888	19.733	3.77	15.963
2015–16	सांसद निधि	77.087	1000.00	1077.087	770.70	306.387
2015–16	इंदिरा आवास योजना	74.651	235.72	310.371	310.371	0.00
2015–16	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना	89.58	0.00	89.58	9.79	79.79
2015–16	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	15.963	91.948	107.911	36.568	71.343
2016–17	सांसद निधि	306.387	750.00	1056.387	179.85	876.537
2016–17	इंदिरा आवास योजना	0.00	743.73	743.73	743.73	0.00
2016–17	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना	79.79	0.00	79.79	0.00	0.00
2016–17	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	71.343	141.022	212.365	211.377	0.988

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून का वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक का आय–व्यय विवरण

धनराशि (रू लाख) में

क्र. सं.	योजना का नाम	2014–15				2015–16				2016–17			
		प्रा0 शेष	आवंटन	व्यय	शेष	प्रा0 शेष	आवंटन	व्यय	शेष	प्रा0 शेष	आवंटन	व्यय	शेष
1	सांसद निधि	171.707	0.00	94.62	77.087	77.087	1000.00	770.70	306.387	306.387	750.00	179.85	876.537
2	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	113.69	0.00	24.11	89.58	89.58	0.00	9.79	79.79	79.79	0.00	0.00	79.79
3	एस0जी0एस0वाई0 ग्रामीण हाट	0.58	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.58
4	उ0ग्रा0स्व0मिशन	2.62	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	2.62
5	इंदिरा आवास योजना	1499.282	32.05	1456.681	74.651	74.651	235.72	310.371	0.00	0.00	743.73	743.73	0.00
6	इंदिरा आवास योजना प्रशासनिक मद	68.666	0.00	28.592	40.074	40.074	0.00	40.074	0.00	0.00	40.641	6.73	33.911
6	क्रेडिट कम सब्सिडि योजना	8.30	12.00	6.60	13.70	13.70	8.00	1.70	20.00	20.00	0.00	14.60	5.40
7	प्रशासनिक मद	9.70	113.83	123.53	0.00	0.00	25.63	25.57	0.06	0.06	57.25	56.78	0.53
8	उ0 सार्वभौम रोजगार योजना	13.97	15.48	0.00	29.45	29.45	0.00	0.00	29.45	29.45	3.80	0.00	33.25
9	उ0 सीमान्त पिछडा क्षेत्र विकास योजना	70.20	0.28	70.20	0.28	0.28	1.42	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70
10	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	11.845	7.888	3.77	15.963	15.963	91.948	36.568	71.343	71.343	141.022	211.377	0.988
11	स्थापना/आकस्मिक मद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.410	153.410	0.00
	कुल योग	**1970.56**	**181.528**	**1808.103**	**343.985**	**343.985**	**1362.718**	**1194.773**	**511.93**	**511.93**	**1889.853**	**1366.477**	**1035.306**

लेखाओं पर टिप्पणीः-

(i) वर्ष के अन्त में बड़ी धनरा श बची हुई है अर्थात योजनाओं का क्रयान्वयन सही ढंग से नही हो रहा हैं।

शून्य

भाग 2(ब)

प्रस्तर **01**(अ) संसद नि ध के अंतर्गत **24.22** करोड़ लागत के 483 कार्यों में से 238 कार्यों का अपूर्ण रहना तथा 32 कार्यों का आरंभ न कया जाना ।

दिसम्बर 1993 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र वकास योजना (MPLAD) को आरंभ कया गया था । 1994 में इस योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार को हस्तांतरत कया गया । इस योजना का उद्देश्य संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसंप त्तयों के स्रजन पर ज़ोर देते हुए वकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने हेतु सक्षम बनाना है। योजना के आरंभ से ही, राष्ट्रीय प्राथ मकताओं की स्थायी परिसंप त्तयों अर्थात पेयजल, प्राथ मक शक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वछता और सड़क इत्यादि का सृजन करने हेतु इस योजना का आरंभ कया गया है। इस योजना के संचालन हेतु राज्य में कसी एक वभाग को नोडल वभाग नियुक्त कया जाता है जिसपर इस योजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, निगरानी और जिलों तथा अन्य संबन्धित वभागों के साथ उसके समन्वय का समग्र उत्तरदायित्व होता है । जिला प्रा धकारी इस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति से भारत सरकार और राज्य नोडल वभाग को अवगत कराएगा। संबन्धित जिला नोडल प्रा धकारी संबन्धित सांसद के परामर्श से राज्य सरकार के माध्यम से युक्तिसंगत एवं तर्कसंगत प्रस्ताव भेजेगा जिसमें वह निर्वाचन क्षेत्र में अन्य आ र्थक रूप से वं चत वर्गों के कल्याण के लए निर्धारित रा श की मांग करेगा । जिला प्रा धकारी उपयुक्त कार्यान्वयन एजेन्सी का चयन करेगा जिसके माध्यम से संसद सदस्य द्वारा संस्तुत कसी कार्य वशेष को निष्पादित कया जाएगा।

अ भलेखों की जांच में देखा गया की निम्न ल खत सारणी में द र्शत संसद सदस्यों द्वारा समय समय पर DRDA देहरादून को नोडल वभाग बनाया गया है । जिसपर इस योजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, निगरानी और जिलों तथा अन्य संबन्धित वभागों के साथ उसके समन्वय का समग्र उत्तरदायित्व है ।

MPLAD योजना के तहत भारत सरकार से प्राप्त धनरा श एवं उसकी कार्यों हेतु उपयोग की स्थिति ।								
सांसद का नाम	भारत सरकार से प्राप्त धनरा श	कुल उपलब्ध धनरा श (मय ब्याज)	स्वीकृत धनरा श (लाख में)	अवमुक्त धनरा श (लाख में)	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर	अनारम्भ कार्य
श्री तरुण वजय राज्य सभा								
वर्ष 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	 100-00 500-00 500-00 305-157	 100-00 531-45 500-00 305-157	 99-975 530-53 498-71 305-16	 99-883 511-48 488-19 304-79	 40 93 42 24	 39 71 5 11	 1 21 20 0	 0 1 17 13
श्री महेंद्र संह मेहरा राज्य सभा								
2014-15	250-00	250-00	250-00	250-00	117	45	72	0
श्री राज बब्बर राज्य सभा								
2015-16	500-00	505-82	491-23	473-83	101	42	58	1
2016-17	250-00	250-00	246-63	241-64	66	0	66	0
	2405.15	2442.42	2422.23	2369.81	483	213	238	32

उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है की इनके द्वारा व भन्न वर्षों में कराये गए कार्यों की समीक्षा में पाया गया की कुल स्वीकृत धनरा श 2422.23 लाख की लागत से कराये जाने वाले 483 कार्यों में से मात्र 213 कार्य ही सम्पन्न कया जा सके थे तथा 238 कार्य अपूर्ण थे तथा 32 कार्य आरंभ ही नहीं कए जा सके थे । इन कार्यों की सम्पूर्ण लागत रुपये 2422.23 लाख(say 24.22 crore) थी जिसके सापेक्ष 2369.81 लाख रुपये अवमुक्त कए जा चुके थे । इस संबंध में इकाई द्वारा

स्वीकार कया गया की वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक अन्य जनपदों में कुल 1702.41 लाख की धनरा श अवमुक्त की गई थी जिसके अंतर्गत कुल 359 कार्य व भन्न सांसदों द्वारा प्रदान की गई धनरा श से जनपद देहरादून से बाहर कराये जाने थे ।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गई तथा बताया गया क कार्यदायी संस्थाओं को प्रथम कश्त की धनरा श अवमुक्त की गई है, परंतु कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा द् वतीय कस्त के प्रस्ताव के साथ MB की प्रति, उपयो गता प्रमाणपत्र व कार्यस्थल की फोटो प्राप्त न होने के कारण कार्य अभी पूर्ण नहीं हो सके हैं । इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु समान्यतः 90 दिन की अव ध प्रदान की जाती है कन्तु वर्ष 2010-11 से लेकर 2016-17 तक के कार्य अपूर्ण थे अर्थात वलंब की अव ध अत्य धक थी । इन अपूर्ण कार्यों हेतु माननीय सांसद महोदयों से कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुये थे । इकाई द्वारा व भन्न कार्यदायी संस्थाओं से कोई पत्राचार नहीं कया गया था । इकाई द्वारा माननीय सांसद महोदय से अनारम्भ कार्यों हेतु कोई पत्राचार नहीं कया गया था। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 483 कार्यों में से 359 कार्य देहरादून जनपद के बाहर के जनपदों के थे जिससे स्पष्ट होता है की संबन्धित जिले के DRDA तथा उनके द्वारा तय की गई कार्यदाई संस्थाओं ने अपनी ज़िम्मेदारी/योजनाओं का अनुश्रवण करने के प्रति लापरवाही बरती है, जिसके कारण अपूर्ण कार्यों की संख्या अत्य धक है तथा इन कार्यों का लाभ नागरिकों को समय पर नहीं मल पा रहा है ।

अतः संसद नि ध के अंतर्गत 24.22 करोड़ लागत के 483 कार्यों में से 238 कार्यों का अपूर्ण रहना तथा 32 कार्यों का आरंभ न कये जाने का मामला संज्ञान में लाया जाता है ।

प्रस्तर 01(ब) **MPLAD** योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून में कराये गए 16.73 करोड़ लागत के 623 कार्यों में से 257 कार्यों का अपूर्ण रहना तथा 82 कार्यों का आरंभ न होना।

DRDA देहरादून की लेखापरीक्षा में इस योजना के अंतर्गत देखा गया क देहरादून जनपद में व भन्न सांसदों द्वारा वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक कराये गए कार्यों की समीक्षा करने पर निम्न ल खत स्थिति पाई गई जिसका ववरण अनुलग्नक DDN में द र्शत है। इस सारणी से स्पष्ट है की वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अव ध में वभन्न सांसदों द्वारा जनपद देहरादून में 1673.90 लाख लागत के कुल 623 कार्य आरंभ करवाए गए हैं जिनमे से मात्र 284 कार्य ही पूर्ण हुये है तथा 257 कार्य अपूर्ण हैं तथा 82 कार्य आरंभ ही नहीं हुये हैं । इन कार्यों की कुल स्वीकृत लागत 1673.90 लाख रुपये है जिसके सापेक्ष 1457.21 लाख रुपये इन कार्यों हेतु अवमुक्त कर दिये गए है तथा 216.68 लाख की धनरा श अवमुक्त की जानी शेष है ।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गई तथा बताया गया क कार्यदायी संस्थाओं को प्रथम कश्त की धनरा श अवमुक्त की गई है, परंतु कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा द् वतीय कस्त के प्रस्ताव के साथ MB की प्रति, उपयो गता प्रमाणपत्र व कार्यस्थल की फोटो प्राप्त न होने के कारण कार्य अभी पूर्ण नहीं हो सके हैं ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु समान्यतः 90 दिन की अव ध प्रदान की जाती है कन्तु वर्ष 2010-11 से लेकर 2016-17 तक के कार्य अपूर्ण थे अर्थात वलंब की अव ध अत्य धक थी । इन अपूर्ण कार्यों हेतु माननीय सांसद महोदयों से कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुये थे । इकाई द्वारा व भन्न कार्यदायी संस्थाओं से कोई पत्राचार नहीं कया गया था । इकाई द्वारा माननीय सांसद महोदय से अनारम्भ कार्यों हेतु कोई पत्राचार नहीं कया गया था। इकाई द्वारा बताया गया की जनपद में 90 % तक स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण कया जाता है जब क वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक इस योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून में कराये गए 16.73 करोड़ के 257 कार्यों का अपूर्ण रहना तथा 82 कार्यों का आरंभ न होना इस बात का प्रमाण है की DRDA स्तर पर योजनाओं का अनुश्रवण तथा उनकी प्रगती की समीक्षा नहीं की गई तथा उनके द्वारा तय की गई कार्यदाई संस्थाओं ने अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति लापरवाही बरती है, जिसके कारण अपूर्ण कार्यों की संख्या अत्य धक है तथा इन कार्यों का लाभ नागरिकों को समय पर नहीं मल पा रहा है । जिससे इस योजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, निगरानी और जिलों तथा अन्य संबन्धित वभागों के साथ समन्वय का अभाव परिल क्षत होता है ।

अतः MPLAD योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून में कराये गए 16.73 करोड़ लागत के 623 कार्यों में से 257 कार्यों का अपूर्ण रहना तथा 82 कार्यों का आरंभ न होने का मामला संज्ञान में लाया जाता है ।

अनुलग्नक DDN

MPLAD योजना से जनपद देहरादून में कराये गए कार्यों की स्थिति ।							
सांसद का नाम	श्री महेंद्र संह महरा, राज्य सभा						
वर्ष	स्वीकृत धनरा श	अवमुक्त धनरा श	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर	अनारम्भ कार्य	देय बकाया धनरा श
2012-13	81.90	75.58	38	25	11	2	6.32
2013-14	51.67	47.30	20	15	5	-	4.37
	श्री निशंक, लोक सभा						
2014-15	190.84	172.99	126	47	16	63	17.85
2015-16	61.07	50.80	16	3	13	-	10.27
2016-17	92.57	71.14	39	-	38	1	21.43
	श्री राजबब्बर, राज्य सभा						
2015-16	261.55	242.54	67	37	30	-	19.01
2016-17	19.96	14.97	2	-	-	2	4.99
	श्री तरुण वजय, राज्य सभा						
2011-12	88.83	81.48	19	15	4	-	7.35
2012-13	123.22	112.70	16	-	16	-	10.52
2013-14	214.84	165.44	4	-	-	4	49.40
	श्री प्रदीप टमटा, राज्य सभा						
2016-17	29.87	24.005	26	7	19	-	5.865
	श्रीमती राज लक्षमी शाह, लोक सभा						
2011-12	45.83	39.42	19	12	7	-	6.41
2012-13	46.98	45.23	40	35	5	-	1.75
2013-14	*						
2014-15	166.87	158.40	87	74	13	-	8.47
2015-16	121.30	97.05	53	12	41	-	24.25
2016-17	76.60	58.17	51	2	39	10	18.43
योग	1673.90	1457.21	623	284	257	82	216.685

प्रस्तर 2(अ)– इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि ` 28.50 लाख का खातें में अप्रयुक्त पडे रहना।

इकाई के इंदिरा आवास योजना से सम्बंधित अभिलेखों/पत्रावलियों की जॉच में देखा गया कि इकाई द्वारा योजना के अन्तर्गत 04 बैंक खाते(Saving Account) खोले गये थे जिनका विवरण निम्नवत है–

क्र.सं.	बैंक का नाम	खाता सं0	अवशेष धनराशि	धनराशि आहरित नही की गयी
1	केनरा बैंक, धंटाघर, दे.दून	2162101030495	0	
2	एस.बी.आई. राजपुर रोड, दे. दून	30722500034	0	
3	पी.एन.बी., इ.सी.रोड, दे.दून	4689000100015116	1687770	**03/2011 से**
4	पी.एन.बी. विधान सभा, दे.दून	4422000100011700	1162703	**10/2015 से**
		कुल योग	**2850473**	

आगे जांच में पाया गया कि प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत खोले गये खाता संख्या 4689000100015116 से विगत 06 वर्षों से एवं खाता संख्या 4422000100011700 से विगत 01 वर्ष से योजना हेतु कोई भी धनराशि आहरित नही की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत भुगतान केनरा बैंक घण्टाघर, देहरादून में खोले गये खाते से किया गया जिस कारण से अन्य खातों से धनराशि आहरित नही की गयी थी। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि उक्त खातों में धनराशि 01 से 06 वर्षों तक अप्रयुक्त पडी रही।

अतः इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि ` 28.50 लाख के अप्रयुक्त पडे रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 2(ब)– सार्वभोम रोजगार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि ` 29.54 लाख का खातें में अप्रयुक्त पडे रहना।

इकाई के सार्वभोम रोजगार योजना से सम्बंधित अभिलेखों/पत्रावलियों की जॉच में देखा गया कि योजना के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक,राजपुर रोड, देहरादून में खोले गये खाते (A/C N0. 30061932887) में धनराशि रू0 29,53,903.00 वर्ष 2015–16 से अप्रयुक्त पडी हुई है। आगे जांच में पाया गया कि प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत खोले गये खाते से विगत 02 वर्षों से (दिनांक 01.04.2015 से लेखापरीक्षा तिथि तक) योजना हेतु कोई भी धनराशि आहरित नही की गयी है। लेखापरीक्षा तिथि(05/2017) तक योजनान्तर्गत खोले गये खाते में धनराशि रू0 33.26 लाख(ब्याज सहित) अवशेष पडी हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि योजना की अवशेष धनराशि शासन को वापस करने की प्रक्रिया गतिमान है। शीघ्र ही धनराशि वापस कर दी जायेगी। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि 02 वर्ष से अधिका का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी योजनान्तर्गत धनराशि अप्रयुक्त पडी हुई थी।

अतः सार्वभोम रोजगार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि ` 29.54 लाख के अप्रयुक्त पडे रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर 3- इंदिरा अम्मा योजना के अन्तर्गत तीन सहायता समूहों को रू 98.35 लाख का अनिय मत भुगतान।

उत्तराखण्ड़ मंत्रिमड़ंल के आदेश से दिनांक 03.08.2015 को राज्य में सस्ते भोजन की व्यवस्था कराने हेतु इंदिरा अम्मा योजना प्रारंभ की गयी थी। योजना के शासनादेश के बिन्दु 06 एवं 08 के अनुसार योजना संचालन में इंदिरा अम्मा भोजनालय कैटीन की स्थापना एवं संचालन में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को लाभान्त वतों का पूर्ण ब्यौरा जिसमें उनका नाम व निवास स्थान अं कत करना था एवं योजना के सुचारु संचालन हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कया जाना था। साथ ही योजना की धनरा श व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वत्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों का पालन सुनिश्चित कया जाना था।

अ भलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया क देहरादून जनपद में तीन सहायता समूहों (राज्यलक्ष्मी घण्टाघर, सेरा पना ट्रांसपोर्ट नगर एवं जागृति दून हॉस्पिटल) का चयन कया गया था। जिन्हे अगस्त 2015 से फरवरी 2017 तक कुल रू 9835630 का भुगतान कया गया था। आगे यह भी पाया गया था क स्वयं सहायता समूहों को भुगतान करने से पूर्व उनके दावे के सत्यता की जांच नहीं की गयी थी क्यों क उनके (सहायता समूहों) द्वारा न तो लाभान्वितों को पूर्ण ब्यौरा रखा गया था और न ही उन्हे कसी प्रकार की रसीद प्रदान की गयी थी। इस संबंध में मुख्य वकास अ धकारी द्वारा इंदिरा अम्मा भोजनालयों की गोपनीय जांच हेतु कमेटी भी बनायी थी ले कन उनके द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी। उनके द्वारा वत्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में सादे कागज पर दैनिक वकी दर्शाते हुए कुल 983563 थाली (राज्यलक्ष्मी घण्टाघर- 375359 थाली, सेरा फना ट्रांसपोर्ट नगर -357223 थाली एवं जागृति दून हॉस्पिटल-250981 थाली) दर्शायी गयी थी तथा प्रति थाली रू 10 की सब्सिडी का दावा कया गया था जिसे बिना सत्यापन के भुगतान रू 9835630 कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क भ वष्य में बिलों के भुगतान से पूर्व निर्देशों का पालन कया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं हैं क्यों क उपरोक्त आदेशों का पालन न करने से अ धक/अनिय मत धनरा श के भुगतान होने से इंकार नहीं कया जा सकता क्यों क जब लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में क्रास-वेरीफीकेशन की गयी तो सरस वपणन केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकडे तथा भुगतानित आंकडो में अंतर था।

अतः इंदिरा अम्मा के अन्तर्गत रू 98.35 लाख का अनिय मक व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर 4–इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत धनराशि ` 195.25 लाख के व्यय के उपरांत भी 55% आवासों को ही पूर्ण कराया जाना।

इंदिरा आवास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बी.पी.एल. परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना है जिसमें अनुसूचित जातियों/जन जातियों, मुक्त बंधुआ मजदूरों को सहायता प्रदान करना है। योजना के अन्तर्गत इंदिरा आवास आवंटन में से 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जन जाति परिवारों को, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक तथा शेष सामन्य जाति के परिवारों को लाभान्वित करना है।

इकाई के इंदिरा आवास योजना से सम्बंधित अभिलेखों/पत्रावलियों की जांच में देखा गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2015–16 में दिये गये लक्ष्य 436 आवासों के सापेक्ष योजना के अंतर्गत धनराशि ` 203.44 लाख अवमुक्त/हस्तान्तरित की गयी थी, जिसका विवरण निम्नवत है–

क.सं.	योजना का नाम	पत्रांक सं0	अवमुक्त/हस्तान्तरित धनराशि(` लाख में)	उपभोग की तिथि
1	इंदिरा आवास योजना	697/राज्य डी.आर.डी.ए.प्रकोष्ठ/ग्रा.वि.वि./2014 दिनांक 25.01.2016	67.35750	31.01.2016
2	इंदिरा आवास योजना	765/राज्य डी.आर.डी.ए.प्रकोष्ठ/ग्रा.वि.वि./2014 दिनांक 29.02.2016	28.02500	05.03.2016
3	इंदिरा आवास योजना	776/राज्य डी.आर.डी.ए.प्रकोष्ठ/ग्रा.वि.वि./2015 दिनांक 03.03.2016	44.12	08.03.2016
4	इंदिरा आवास योजना	809/19/राज्य डी.आर.डी.ए.प्रकोष्ठ/ग्रा.वि.वि./2015, दिनांक 14.03.2016	14.49750	19.03.2016
5	इंदिरा आवास योजना	836/19/राज्य डी.आर.डी.ए.प्रकोष्ठ/ग्रा.वि.वि./2015 दिनांक 28.03.2016	19.22	02.04.2016
6	इंदिरा आवास योजना	844/19/राज्य डी.आर.डी.ए.प्रकोष्ठ/ग्रा.वि.वि./2015, दिनांक 29.03.2016	16.88250	03.04.2016
7	इंदिरा आवास योजना	857/19/राज्य डी.आर.डी.ए.प्रकोष्ठ/ग्रा.वि.वि./2015, दिनांक 31.03.2016	13.34	05.04.2016
		कुल योग	**203.4425**	

आगे जांच मे यह भी पाया गया कि दिये गये लक्ष्य 436 आवासों के सापेक्ष केवल 239 आवास(55%) ही पूर्ण किये गये थे जबकि अवमुक्त/हस्तान्तरित धनराशि रू0 203.44 लाख के सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि तक रू0 195.25 लाख व्यय किया किये जा चूके थे। वर्तमान में यह योजना बंद हो चुकी है। 02 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी लक्ष्य को प्राप्त नही किया गया था दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 55% आवासों को ही पूर्ण कराया गया जो यह दर्शाता है कि योजना का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नही किया गया था।

अतः इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत धनराशि ` 195.25 लाख के व्यय के उपरांत भी 55% आवासों को ही पूर्ण कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 5– दुकानों से प्राप्त किराये को बिना दिशा–निर्देशों के व्यय किया जाना एवं अग्रिम के रूप में दी गयी धनराशि ` 2.83 का असमायोजित रहना।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के स्वामित्व में स्थित दुकानों से सम्बंधित पत्रावलियों की जांच में देखा गया कि इकाई द्वारा देहरादून में सरस मार्केट नाम से 08 दुकानें एवं एक बडा हॉल निर्मित करवाया गया था तथा इनसे प्राप्त होने वाले किराये को एक बैंक खाते में जमा किया जा रहा था।

आगे जांच में पाया गया कि दुकानों से प्राप्त किराये का व्यय विभिन्न मदों पर तथा अग्रिम दिये जाने के रूप में किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत है–

क्र.सं.	वर्ष	मद	व्यय धनराशि
1	2016-17	Maintenance of Vehicle	16852
		Administrative Exp.	187727
		Administrative Exp.	192732
		Telephone Bill	129348
		Administrative Exp.	65838
		Total	**592497**
2	2016-17	**Advances-**	
		i. Pay of Sh. Birendra Singh, Driver & Sh. Visan Singh, Peon	263000
		ii. Sh. Rajendra Singh Bisht, AE	20000
		iii. Indira Amma Bhojnalaya	1200000
		Total	**1483000**
3		**Grand Total(1+2)**	**2075497**

आगे जांच में पाया गया कि दुकानों से प्राप्त होने वाले किराये का व्यय विभिन्न मदों पर एवं अग्रिम हेतु बिना दिशा–निर्देशों के किया जा रहा था तथा अग्रिम के रूप में दी गयी धनराशि रू0 283000/–(263000+20000) का समायोजन भी नही किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि दुकानों से प्राप्त होने वाले किराये का व्यय दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है तथा अग्रिम के रूप में दी गयी धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि इकाई द्वारा दिशा–निर्देशों की छाया प्रति प्रस्तुत नही की गयी तथा अग्रिम का समायोजन भी लंबित था।

अतः दुकानों से प्राप्त किराये को बिना दिशा–निर्देशों के व्यय किया जाना एवं अग्रिम के रूप में दी गयी धनराशि ` 2.83 का असमायोजित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 6– उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछाडा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत धनराशि ` 70.20 लाख के कार्यो के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहना।

उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछडा क्षेत्र विकास निधि का उपयोग– सीमान्त तथा पिछडे विकास खण्डों की ऐसी मूलभूत आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तथा ग्रामीण विकास की श्रखलाओं की ऐसी टूटी कडियों को जोडने के लिए है जो अन्य योजनाओं से आच्छादित नही हो पा रही है।

इकाई के उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछडा क्षेत्र विकास निधि से सम्बंधित अभिलेखों/पत्रावलियों की जांच में देखा गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2013–14 में, दो विकास खण्डों–कालसी एवं चकराता हेतु धनराशि `70.20 लाख अवमुक्त/हस्तान्तरित की गयी थी, जिसका विवरण निम्नवत है–

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पत्रांक	विकास खण्ड	कार्यों की संख्या	अवमुक्त धन0 रू लाख में	उपयोग की तिथि
1	2013–14	3789/5–लेखा–97/उ.सी.पी. छ.निधि, दिनांक 22.02.2014	कालसी	10	35.20	31.03.2014
			चकराता	14	35.00	
			कुल योग	**24**	**70.20**	

आगे जांच में पाया गया कि विकास खण्ड कालसी एवं चकराता को प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत 24 कार्यों, जिनके सापेक्ष धनराशि रू0 70.20 लाख अवमुक्त की गई थी, के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा तिथि तक अप्राप्त थे। जबकि धनराशि को अवमुक्त किये हुए 03 वर्षों से अधिक का समय हो चुका था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्य पूर्ण हो चूके है तथा कार्य–पूर्ति प्रमाण पत्र विकास खण्डों से प्राप्त किये जायेंगे। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि 03 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही किये गये थे जिसके कारण कार्य पूर्ण हो चूके है या नही के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट नही थी। जबकि धनराशि अवमुक्त करते समय स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि कार्य पूर्ण होने सम्बंधी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त निदेशालय को उपलब्ध कराये जायें।

अतः उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछाडा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत धनराशि ` 70.20 लाख के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर **07:-** राष्ट्रीय ग्रामीण आजी वका मशन(**NRLM)** योजना की धीमी प्रगति एवं उपबं धत लक्ष्यों में क मयाँ होना ।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजी वका मशन(NRLM) का उद्देश्य गरीब परिवारों को उपयोगी स्व रोजगार एवं कौशल आधारित मजदूरी रोज़गार अवसर उपलब्ध कराकर निर्धनता कम करना, ता क गरीबों के मजबूत बुनियादी संस्थापन के माध्यम से उनकी जीवीका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके, है । इस मशन के मुख्य दिशानिर्देशक मूल्य इस प्रकार हैं :- सभी प्र क्रयाओं में निर्धनतम व्यक्तियों को शा मल करना तथा उन्हें महत्वपूर्ण भू मका देना, सभी प्र क्रयाओं तथा संस्थापन में पारद र्शता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना, आयोजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी सभी स्तरों पर गरीबों का स्वा मत्व तथा उनकी महत्वपूर्ण भू मका सुनिश्चित करना, सामुदायिक स्वनिर्भरता स्था पत करना । NRLM का कार्यान्वयन मशन मोड में कया जाना है । जिससे निम्न ल खत में सहायता मलनी है । आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति अपनाना, ता क राज्य स्वयं की आजी वका आधारित गरीबी उन्मूलन योजनाएँ वनसकें । लक्ष्यों, परिणामों तथा समयबद्ध सुपुर्दगी सुनिश्चित करना । सतत क्षमता निर्माण, कौशल वकास एवं गरीबों तथा संगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को आजी वका के अवसर उपलब्ध कराना और गरीबी उन्मूलन संबंधी परिणामों के लक्ष्यों की निगरानी करना । इस मशन के अंतर्गत आरंभ में यह सुनिश्चित कया जाना था की प्रत्येक निर्दिष्ट ग्रामीण निर्धन परिवार के कम से कम एक सदस्य , अ धमानतः महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्व-सहायता समूह (SHG) शा मल कया जाना था । इसके अंतर्गत समाज के गरीब वं चत वर्गों की पर्याप्त कवरेज इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी की 100% कवरेज के लक्ष्यों पर वचार करते समय 50% लाभार्थी अनुसू चत जाती /जनजाति के हों, 15% अल्पसंख्यक हों तथा 3% वकलांग हों ।

स चव ग्राम्य वकास ने पत्र संख्या 192/125/usrlm/2015 दिनांक 13 अगस्त 2015 को इस मशन के अंतर्गत SHG को सामुदायिक निवेश नि ध तथा बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु माइक्रो क्रे डट प्लान तैयार कए जाने के संबंध में निर्देश जारी कए । इनके अंतर्गत यह निर्दे शत कया गया था की प्रारम्भ में ग्राम संगठन अस्तित्व में न आने के कारण पात्र समूहों को सीधे माइक्रो क्रे डट प्लान के आधार पर SRLM /DMMU द्वारा सामुदायिक निवेश नि ध(CIF) अवमुक्त कया जा सकता है, कन्तु यह व्यवस्था पूर्णत अन्तरिम व्यवस्था होगी । ग्राम संगठन बनने के फलस्वरूप उक्त CIF की धनरा श ग्राम संगठन के खाते में संक लत होगी तथा भावी परिचालन भी तदनुसार ग्राम संगठन द्वारा कया जाएगा । ग्राम संगठन द्वारा समूह की माइक्रो क्र डट प्लान के आधार पर CIF पात्र समूह को लघु ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा एवं इस नि ध का परिचालन ग्राम संगठन द्वारा समूहों को तब तक कया जाएगा जब तक की क्लस्टर संगठन अस्तित्व में न आ जाएँ । क्लस्टर संगठनों के अस्तित्व में आने के फलस्वरूप उक्त निधी का परिचालन ग्राम संगठनों के माध्यम से समूहों एवं समूहों के माध्यम से समूह सदस्यों को लघु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

इस मशन संबंधी अ भलेखों की जांच में देखा गया की यह मशन/योजना देहरादून जनपद में 01-04-2013 से लागू है । इसके अंतर्गत देहरादून जनपद के डोईवाला, सहसपुर, रायपुर एवं वकासनगर के स्व सहायता समूह को माइक्रो क्रे डट प्लान बनाने के बाद CIF की धनरा श प्रदान की जाती है । देहरादून जनपद में योजना प्रारम्भ से मार्च 2017 तक मात्र 200 SHG को CIF की धनरा श एक लाख रुपये प्रति समूह की दर से प्रदान की गई है जब क जनपद में कुल 879 SHG हैं। जनपद के 214 SHG द्वारा ग्राम संगठनों(VO) की सदस्यता प्राप्त की गई है तथा 75% SHG शेष बचे हैं। योजना प्रारम्भ से वर्तमान तक कसी भी SHG द्वारा CIF की धनरा श वापस नहीं की गई है। वर्तमान में केवल 2 क्लस्टर कार्य कर रहे हैं जिसके अंतर्गत कुल 10 VO गठित कए गए हैं। अभी तक SHG को इस योजना के अंतर्गत सहायता CLO/VO के माध्यम से न देकर DRDA के माध्यम से दी जा रही है। जब क यह कार्य CLO /VO के माध्यम से आरंभ हो जाना चाहिए था। इस मशन के अंतर्गत गत वर्षों में व्यय की गई धनरा श का ववरण निमन्वत है -

(लाख रुपये में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में प्राप्त धनरा श	वर्ष में व्यय की गए धनरा श	वर्ष में उपलब्ध अंतिम अवशेष	भेजी गई UC में दर्शयी गई धनरा श	अवशेष धनरा श जिसकी UC भेजी जानी शेष है/थी ।
2013-14	-	11.92	0.05	11.87	0.05	11.87
2014-15	11.87	8.36	4.32	15.91	4.32	15.91
2015-16	15.91	91.95	36.57	71.29	36.57	71.29
2016-17	71.29	137.651	207.953	0.988	207.953	0.988

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर बताया गया क यह एक नवीन वकासशील कार्यक्रम है जिसमे समुदाय के माध्यम से SHG एवं उनके उच्च स्तरीय परिसंघों का निर्माण कया जाना है । संसाधनों की कमी के कारण अभी क्लस्टर का पूरी तरह गठन नहीं हुआ है, संसाधनों की उपलब्धता होने पर पूरा कया जाएगा । उत्तर मान्य नहीं है क्यों क चरणबद्ध रूप से मशन का कार्य अभी तक VO /CLO के माध्यम से कया जाना आरंभ नहीं हुआ है जो क मशन एवं राज्य सरकार के उपबंधों का अनुपालन न कया जाना दर्शता है । इस योजना के कुशल संचालन हेतु वकास खंड स्तर पर मशन टीम लीडर के रूप में दो व्यक्तियों का पदस्थापन कया गया है तब भी यह मशन जिला स्तर पर केन्द्रित होकर रह गया है । मामला संज्ञान में लाया जाता है ।

प्रस्तर 08:- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना अंतर्गत 673 **SHG** को सीड कै पटल तथा 704 **SHG** को **CIF** की धनरा श से वं चत रखना ।

मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना अंतर्गत वत्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गठित कए जा रहे महिला स्वयं सहायता समूहों की आजी वका में सुधार, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराये जाने, पलायन में रोक, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देशय से मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण नामक योजना आरंभ की गई ।

इस योजना के अंतर्गत कुल 206 एसएचजी को सीड कै पटल के रूप में प्रति SHG 5000/- रुपये Revolving Fund (RF) के रूप में प्रदान कए गया तथा इस मद में कुल 10.30 लाख रुपये दिये गए । इसके अतिरिक्त 175 SHG को प्रति SHG CIF के रूप में 20000/ रुपये की धनरा श भी प्रदान की गई तथा इस मद में कुल 35.00 लाख की धनरा श दी गई । कन्तु 673 SHG को सीड क पटल तथा 704 SHG को CIF की धनरा श का भुगतान करने हेतु धनरा श राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष में उपलब्ध नहीं कराई गई । जिससे कुछ SHG को अतिरिक्त लाभ प्रदान हुआ तो शेष को राज्य सरकार द्वारा धनरा श प्रदान न कए जाने के कारण लाभ से वं चत होना पड़ा क्यों क NRLM योजना के अंतर्गत चयनित समूहों जिन्हें RF और CIF प्रदान कया जा चुका था को ही मुखमंत्री समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत सीड कै पटल एवं CIF प्रदान कया गया था ।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में कुल प्राप्त धनरा श	सीड कै पटल के अंतर्गत SHG को प्रदान की गई RF की संख्या	सीड कै पटल हेतु SHG को अवमुक्त RF की धनरा श	सीड कै पटल के अंतर्गत SHG को प्रदान की गई CIF की संख्या	सीड कै पटल के अंतर्गत SHG को प्रदान की गई CIF की धनरा श	अवशेष धनरा श (लाख)
2016-17		45.316	206	10.30	175	35.00	0.016
2017-18							

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर बताया गया क CM SHG Empowerment स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित कए गए SHG की सूची संलग्न है । कुल 206 SHG को सीड कै पटल दिया गया है तथा

673 को दिया जाना शेष है । कुल 175 SHG को CIF दिया गया है तथा 704 को दीना जाना शेष है । इस वत्त वर्ष में कोई धनरा श प्राप्त नहीं हुई है।

इस प्रकार मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना अंतर्गत 673 SHG को सीड कै पटल(@5000/-) तथा 704 SHG को CIF(@20000/-) की धनरा श से वं चत रखने से कुछ SHG को जहां अतिरिक्त लाभ मला वहाँ अन्य को इस योजना से कोई लाभ न मल सका । मामला संज्ञान में लाया जाता है ।

प्रस्तर 09:- **MPLAD** योजना के अंतर्गत 99.00 लाख के **Ambulance** वाहनों का क्रय न कया जाना तथा उपभोग प्रमाणपत्र का प्राप्त न होना ।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र वकास योजना के अंतर्गत उत्तराखंड आयुर्वेद वश्व वध्यालय, हर्रावाला, देहारादून तथा मुख्य च कत्सा अ धकारी देहरादून को निम्न ल खत सांसदों द्वारा Ambulance वाहन क्रय करने हेतु धनरा श प्रदान की गई थी जिसका ववरण निमन्वत है।

सांसद का नाम	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था	प्रदान की गई धनरा श	धनरा श देने की दिनांक
1. श्री राजबब्बर, सांसद राज्य सभा	उत्तराखंड आयुर्वेद वश्व वध्यालय, हर्रावाला, देहारादून को Ambulance हेतु	उत्तराखंड आयुर्वेद वश्व वध्यालय,	3,76,910/-	20-12-2016
2. श्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद लोक सभा	उत्तराखंड आयुर्वेद वश्व वध्यालय, हर्रावाला, देहारादून को Ambulance हेतु	उत्तराखंड आयुर्वेद वश्व वध्यालय,	7,00,000/-	02-01-2017
3. श्री तरुण वजय, सांसद राज्य सभा	गोरखाली सुधार सभा गढ़ी कैंट देहरादून को Ambulance	CMO देहरादून	11,32,000/-	28-11-2016
4. श्री तरुण वजय, सांसद राज्य सभा	राम कृष्णा मशन, देहरादून को Ambulance	CMO देहरादून	11,32,000/-	28-11-2016
5. श्री तरुण वजय, सांसद राज्य सभा	श्री सनातन धर्म धर्मार्थ स मति को Ambulance	CMO देहरादून	11,32,000/-	28-11-2016
6. श्री तरुण वजय, सांसद राज्य सभा	सेवा भारती देहरादून को दो Ambulance	CMO देहरादून	22,64,000/-	28-11-2016
7. श्री तरुण वजय, सांसद राज्य सभा	उत्तरांचल उत्थान परिषद, देहरादून को Ambulance	CMO देहरादून	11,32,000/-	28-11-2016
8. श्री तरुण वजय, सांसद राज्य सभा	संभव सोश्ल सोसाइटी, प्रेमनगर, देहरादून को Ambulance	CMO देहरादून	11,32,000/-	28-11-2016
योग			90,00,910/-	

अ भलेखों की जांच में पाया गया की लेखापरीक्षा दिनांक (27-05-2017) तक वाहन क्रय कए जाने संबंधी दस्तावेज़ तथा उपभोग प्रमाणपत्र उत्तराखंड आयुर्वेद वश्व वध्यालय तथा मुख्य च कत्सा अ धकारी देहरादून द्वारा इकाइ को प्रस्तुत नहीं कया गया था ।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर बताया गया की कार्यदायी संस्था से उपयो गता प्रमाण पत्र/ वाहनों के क्रय संबंधी बिल प्राप्त नहीं हुये हैं, प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दिये जाएंगे ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क इस संबंध में पर्याप्त समयाव ध बीत जाने पर भी वाहनों के क्रय कए जाने तथा कुल रुपये 99,00,910/- लाख धनरा श के समु चत उपयोग की पुष्टि नहीं होती है तथा Ambulance जैसी अत्यावश्यक वाहन के लाभ से नागरिकों को वं चत रहना पड़ रहा है । मामला संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग–III

(क) परिचयात्मकः– कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून के माह 11/2015 से माह 04/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की सम्प्रेक्षा श्री विजय बडथ्वाल, स0ले0प0अ0, श्री केदार सिंह, स0ले0प0अ0 एवं श्री नितिन वर्मा, ले0प0, द्वारा दिनांक 17.05.2017 से 27.05.2017 तक श्री बी0एस0 चन्देल, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण–

क्र.सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग 2 'अ' के प्रस्तर	भाग 2 'ब' के प्रस्तर	STAN
1	147/2013–14	0	1, 2	0
2	125/2015–16	0	1,2,3,4,5,6	1

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या–

क्र.सं.	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष**	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
	125/2015–16	–	प्रस्तर संख्या 1,2,3,4,5,6 एवं स्टेन प्रस्तर संख्या 01	प्रस्तुत अनुपालन आख्या के आधार पर सभी प्रस्तर यथावत रखने की संस्तुति की जाती है।	–

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य(यदि काई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाये)

----------सामान्य----------

भाग–V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये–

2. **सतत अनियमितताएं–** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया–**

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**
(i)	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	परियोजना निदेशक

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

स्थानीय निकाय